समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 139/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा पुलिस निरीक्षक-सह-थाना अध्यक्ष, उदाकिशुनगंज के प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी मो0 यासीन पे0 स्व0 मो0 नजीर हुसैन सा0 सिंगारपुर पो0 महुआ बाजार, भाया साह आलमनगर, थाना उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा के विरूद्ध उदाकिशुनगंज थाना कांड सं0-34/12 दिनांक 13.04.12 धारा 302/201/120बी/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपहरण एवं हत्या का कांड दर्ज किया गया था, जिसमें ये न्यायालय से जमानत पर है। इनके नाम से दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-06/2006 (उदाकिशुनगंज थाना) निर्गत है। अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाय विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.203 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 220 दिनांक 12.12.2013 के द्वारा इनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसके आलोक में जवाव आवेदन एवं बायोडाटा में सूचना उपलब्ध कराया गया है। बायोडाटा में अधिकांश कॉलम में सूचना अंकित नहीं किया गया है। यह भी अंकित किया गया है कि शस्त्र बिहार गन हाउस, मधेपुरा में दिनांक 01.10. 2013 से जमा है एवं वर्ष 2014 तक नवीकृत है। इन्होंने शस्त्र जमा करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से अनुमति नही प्राप्त की है, जो मनमानेपन एवं अनुज्ञप्ति शर्तो का उल्लंघन है।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(b) के अन्तर्गत लोक शांति/ लोक सुरक्षा के हित में मो0 यासीन पे0 स्व0 मो0 नजीर हुसैन सा0 सिंगारपुर पो0 महुआ बाजार, भाया साह आलमनगर, थाना उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-06/2006(उदाकिशुनगंज थाना) को "रद्द" किया जाता है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में विना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए संबंधितों को दो नाली बन्दुक सं0-एन. 87107 हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 157 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 31-03-2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0 यासीन पे0 स्व0 मो0 नजीर हुसैन सा0 सिंगारपुर पो0 महुआ बाजार, भाया साह आलमनगर, थाना उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

31/03/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।